(५)

संख्या-1439/सोलह-1-2017-9(बजट-1)/11

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 27 अप्रैल, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष-2017-18 के प्रथम पांच माहों के वेतन भत्तों के व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2017-18 के प्रथम पांच माहों के लिए हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के व्ययों को वहन करने हेतु रूपये 7,45,56,000.00 (रूपये सात करोड़ पैतालिस लाख छप्पन हजार मात्र) को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के वेतन पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी नई सेवा पर व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 'एच' के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध करायेंगे। इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्था द्वारा अपनी आय/बचत से वहन की जायेगी।

3- इस धनराशि के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होंगी ।

4- इस धनराशि की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

5- संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

-2-

6- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्रांक-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 2.1.2017 एवं पत्रांक-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव

संख्या-1439(1)/सोलह-1-2017-9(बजट-1)/2011, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मंडल।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त ई-11 अनुभाग / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
अनु सचिव

(90)

संख्याः-16/ 2017/ 3159/ सोलह-1-2017-9(बजट-1)/ 11

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष-2017-18 के अवशेष सात माहों हेतु वेतन भत्तों एवं पुनरीक्षित वेतन अवशेष के भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के शिक्षकों/ कर्मचारियों के वेतन भत्तों के अवशेष सात माहों के व्ययों को वहन करने हेतु रूपये 10,43,80,000.00 (रूपये दस करोड तैंतालिस लाख अस्सी हजार मात्र) एवं दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान हेतु रू0 98,70,000.00 (रूपये अठ्ठानवे लाख सत्तर हजार मात्र) अर्थात कुल रूपये 11,42,50,000.00 (रूपये ग्यारह करोड ब्यालिस लाख पचास हजार मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशियां को चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार उपरोक्त मदों पर ही व्यय किया जायेगा। किसी भी नई सेवा पर व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के पस्तर-369 'एच' के अधीन शासन की समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आय/ बचत से वहन किया जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशियों के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होगी ।

4. प्रश्नगत धनराशियों की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. स्वीकृत धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

6. विश्वविद्यालय में आच्छादित कर्मियों को दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों के भुगतान बिल (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/ 2016/ वे0आ0-2-1447/ दस-04(एम)/ 2016 दिनांक 22.12.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशियों का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-47 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in में सत्यापित की जा सकती है ।

(84)

विश्वविद्यालय, कानपुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) एवं 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/ 2017/ बी-1- 1190/ दस-2017-23V 2017, दिनांक 3.8.2017 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या-16/ 2017/ 3159(1)/ सोलह-1-2017-9(बजट-1)/ 2011, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(6) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मंडल, कानपुर।
(7) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अवध किशोर)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।